गणेश धोरा धाम में गुरू पूर्णिमा पर गुरू पूजन कर आशीर्वाद लिया

बीकानेर,(कासं)। गुरू पूर्णिमा के अवसर पर गुरूवार को गुरू श्री शिव भगवान के सानिध्य में श्री गुरू गणेश धोराधाम भीनासर में भगवान श्री गणेश का विशेष श्रृंगार, पूजन, महाआरती, हवन एवं महाप्रसादी का आयोजन किया गया। साथ ही भगवान श्री गणेश मंदिर पर रंग बिरंगी रोशनी से विशेष सजावट की गई।

मंदिर परिसर में रात्रि को जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें बीकानेर शहर के जाने-माने कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। राजकीय कन्या महाविद्यालय, मुरलीधर व्यास नगर बीकानेर में आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (उच्च शिक्षा) की स्थानीय इकाई के तत्वावधान में गुरूवंदन कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया।

बीकानेर के गणेश धोराधाम भीनासर में गुरू पूर्णिमा पर गुरू के पांव धोकर पूजन करते राष्ट्रीय संत सरजू महाराज।

- गुरू-शिष्य संबंधों पर चर्चा करते हुए गुरू पूर्णिमा का महत्व समझाया
- मंदिर परिसर में रात्रि को जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें बीकानेर शहर के जाने-माने कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई

कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. राजेन्द्र कुमार पुरोहित, संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. शशिकांत, मुख्य वक्ता एवं कार्यकारिणी सदस्य डॉ. उज्ज्वल गोस्वामी, विभाग संयोजक डॉ. हेमेंद्र तथा जिला सचिव तेजकरण चौहान द्वारा मां सरस्वती एवं महर्षि वेदव्यास के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण के साथ किया गया। मुख्य वक्ता डॉ. उज्ज्वल गोस्वामी ने व्यास पूर्णिमा को गुरू पूर्णिमा के रूप में मनाने की परंपरा, उसके ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व तथा संगठन द्वारा इस अवसर पर गुरूवंदन कार्यक्रम आयोजित करने की प्रासंगिकता पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने महर्षि वेदव्यास सहित गुरू परंपरा के महान आचार्यों द्वारा भारतीय समाज, संस्कृति एवं सभ्यता में दिए गए अमूल्य योगदान को भी रेखांकित किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य डॉ. राजेन्द्र पुरोहित ने भारतीय गुरू परंपरा की महत्ता पर बल देते हुए सभी को इस मार्ग का अनुसरण करने और उसे और अधिक सशक्त व समृद्ध करने का आव्हान किया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. शशिकांत ने संगठन की रीति-नीति तथा उसके शैक्षिक उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए शिक्षकों की भूमिका को समाज निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

कार्यक्रम का संचालन इकाई सचिव डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने कुशलता से किया। जबकि धन्यवाद ज्ञापन जिला सचिव तेजकरण चौहान द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के उपरांत महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें सभी अतिथियों, आचार्यगणों एवं छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त आचार्यगण एवं संकाय की छात्राएं उपस्थित रही।

राजकीय विधि महाविद्यालय में गुरू वंदन कार्यक्रम आयोजित राजकीय विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीकानेर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (उच्च शिक्षा) की ओर से गुरू वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं राजकीय डूंगर महाविद्यालय के गणित विभाग के प्रो. शशिकांत रहे। उन्होंने जीवंत व रोचक उदाहरणों द्वारा गुरू-शिष्य संबंधों पर चर्चा करते हुए गुरू पूर्णिमा का महत्व समझाया। उन्होंने संगठन के ध्येय वाक्य राष्ट्र हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक तथा शिक्षक के हित में समाज पर विचार प्रकट करते हुए कहा कि चूंकि मैं एक शिक्षक हूं। अत: शिक्षा और समाज के बारे में सोचना हमारी प्रथम जिम्मेदारी है। आज के समय में समावेशी ज्ञान की आवश्यकता है जिसके लिए शिक्षक व विद्यार्थी दोनों का ही पारस्परिक दायित्व बनता है।

महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. भगवाना राम विश्नोई ने विद्यार्थियों से कहा कि एक विद्यार्थी के जीवन निर्माण में शिक्षक की अहम जिम्मेदारी है। अत: विद्यार्थियों में चेतना जागृत करने का कर्तव्य आज के शिक्षक का ही है। विद्यार्थियों को ज्ञान के प्रति जिज्ञासु होना चाहिए तथा सदैव जीवन के हर मोड़ पर गुरू के प्रति सद्भाव व आदर रखना चाहिए। कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा हेमसिंह शेखावत द्वारा प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का संचालन डॉ. मीनाक्षी कुमावत द्वारा किया गया।

लिव-इन का झांसा देकर की धोखाधड़ी

अनूपगढ़,(कासं)। अनूपगढ़ के चक 2 एमएसआर निवासी एक व्यक्ति ने पांच व्यक्तियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, अपहरण, मारपीट, ठगी, धमकी तथा आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों में मामला दर्ज कराया है।

पुलिस ने सुरजीत सिंह पुत्र फूला सिंह की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच हैड कांस्टेबल विनोद कुमार को सौंपी है। एसएचओ ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि परिवादी सुरजीत सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी से संतान नहीं होने के कारण आपसी रिश्तों में दरार आई। इसी दौरान श्रीकरणपुर की मनदीप कौर ने उसके साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की बात कही।

मनदीप ने कहा कि वह जो बच्चा जन्म देगी, उसे सुरजीत को सौंप देगी। लेकिन इसके बदले में खर्चा उठाने की बात कही। परिवादी ने बताया कि गर्भवती होने के बाद मनदीप और कमलदीप कौर ने सुरजीत को धमकाया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह गर्भपात करवा देंगे। मजबूर होकर सुरजीत ने बार-बार 5 से 50 हजार रूपए तक विभिन्न खातों में भेजे। 24 अप्रैल 2024 को सभी पांचों आरोपियों ने मिलकर सुरजीत को उसकी ही कार में बंधक बनाकर श्रीकरणपुर ले जाकर 100 रूपए के स्टाम्प पर उसकी कार का फर्जी हलफनामा मनदीप कौर के नाम से तैयार करवा लिया। इसमें बंटी सिंह व जगसीर सिंह ने गवाह बनकर सहयोग किया। 25 मई को पीड़ित की शिकायत पर पंचायती समझौते के जरिए आरोपी ने गलती स्वीकार की और कार लौटाई।

सार-समाचार

साधु-संतों, गुरूजनों का सम्मान किया

भाजपा बीकानेर शहर जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ के नेतृत्व में भाजपाईयों ने गुरू पूर्णिमा पर साधु-संतों का सम्मान किया।

बीकानेर, (कासं)। गुरू पूर्णिमा उत्सव महापर्व में जिला संयोजक एडवोकेट मुकेश कुमार ओझा ने बताया कि प्रदेश संगठन के मार्गदर्शन से भाजपा बीकानेर शहर जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं की जिला, मंडल और बूथ टोली बनाकर बीकानेर पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों में मठ- मंदिरों में महामंडलेश्वर, मंहत, धार्मिक स्थलों, मंदिरों के पुजारियों, शिक्षक और खेल और कला, साहित्य के क्षेत्र के गुरूजनों का सम्मान किया। सम्मान और अभिनंदन में लालेश्वर मठ शिव बाड़ी मंदिर के महंत विमर्शानंद महाराज, धूनी नाथ मठ के आचार्य महामंडलेश्वर विशोकानन्द महाराज, शक्तिधाम राम झरोखा के महामंडलेश्वर सरजू दास महाराज, केदारनाथ गुफा काली माई मठ विलास नाथजी महाराज, नवलेश्वर मठ के महामंडलेश्वर शिवसत्यनाथ महाराज, आचार्य तुलसी तेरापंथ भवन कमल मुनि महाराज, गायत्री शक्तिपीठ सागर रामेश्वरानंद महाराज, संत लाली माई बगीची, वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय संत बाल योगी बाबा प्रकाश नाथ मठ, छेल बिहारी महाराज, धर्मगुरू पुजारी जुगल किशोर ओझा गायत्री मंदिर, गणेश धोरा धाम पूज्य शिवजी ओझा गुरुदेव, भूत महाराज बजरंग लाल छंगाणी, पंडित नथमल पुरोहित, शिव शक्ति भैरू पीठ बसंत किराडू महाराज, करणी माता मंदिर विजय भवन, गढ़ गणेश जूनागढ़, बड़ा हनुमान मंदिर जूनागढ़ के संतों का शॉल,धार्मिक दुपट्टा श्रीफल फल और प्रसाद गुरू दक्षिणा भेंट कर सम्मान और अभिनंदन किया गया।

भाजपा के सात मंडल अध्यक्ष घोषित

बीकानेर, (कासं)। भारतीय जनता पार्टी ने कोलायत विधानसभा के सातों मंडल अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया। बरसलपुर से खेत सिंह भलुरी, गोडू से श्रीराम, बज्जू से सुभाष, कोलायत से धर्मवीर गिरी, हंदा से चोरूराम मेघवाल, पलाना से रामरतन सियाग और देशनोक मंडल से पवन कुमार को मंडल अध्यक्ष बनाया गया। देवी सिंह भाटी और अर्जुनराम खेमे को तीन-तीन मंडल अध्यक्ष बनाए हैं।

आम सूचना

हर आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि कि मेरी मुवक्किला रजिया बानो पत्नी मोहम्मद उमर, निवासी मोहल्ला हमालान, बीकानेर, जिला बीकानेर, राजस्थान 334001, वर्तमान में 784 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली संपत्ति की वैध स्वामित्वकर्ता हैं। इस संपत्ति का प्रारंभिक स्वामित्व किशन लाल उर्फ आइदान पुत्र हीरालाल के नाम था, जिन्होंने दिनांक 12.09.1969 को उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख (Sale Deed) उस्मान गनी पुत्र गफूर खान के पक्ष में किया, जो उप-पंजीयक बीकानेर के कार्यालय में उसी दिन पंजीकृत हुआ। इसके बाद दिनांक 03.02.2025 को रोशन अली छीपा पुत्र उस्मान गनी, जमिला पुत्री उस्मान गनी, शकीना पत्नी मेहबूब नागौरी, अय्यूब नागौरी एवं मोहम्मद अशकर पुत्र मेहबूब नागौरी ने एक रिलीज डीड के माध्यम से उक्त संपत्ति को मोहम्मद फारूक नागौरी पुत्र उस्मान गनी एवं मोहम्मद उमर पुत्र उस्मान गनी के पक्ष में छोड़ा, जो उप-पंजीयक बीकानेर-I के कार्यालय में पंजीकृत हुआ। तत्पश्चात, दिनांक 25.02.2025 को मोहम्मद फारूक नागौरी एवं मोहम्मद उमर के मध्य संपत्ति का बंटवारा विलेख (Partition Deed) निष्पादित हुआ, जो उप-पंजीयक बीकानेर-III के कार्यालय में पंजीकृत है। अतत:, दिनांक 27.06.2025 को मोहम्मद उमर ने उक्त संपत्ति को एक पंजीकृत उपहार विलेख (Gift Deed) के माध्यम से मेरी मुवक्किला रजिया बानो के पक्ष में हस्तांतरित किया, जो उप-पंजीयक बीकानेर-III के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत हुआ। वर्तमान में मेरी मुवक्किला द्वारा उक्त संपत्ति पर Cholamandalam Investment & Finance Company Limited से ऋण लिया जा रहा है, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। यदि किसी व्यक्ति, संस्था या प्राधिकरण को इस संपत्ति या उसके स्वामित्व पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन से 7 दिवस के भीतर लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी अधिवक्ता से संपर्क करें। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में ऋण प्रक्रिया बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाई जाएगी।

मुकुंद पंचारिया, (एडवोकेट)
मो. 9829290229
दिनांक : 10.07.2025

बीकानेर-हनुमानगढ़ हाईवे पर गड्ढे दे रहे हैं हादसों को न्यौता

बीकानेर, (कासं)। नौरंगदेसर सर्विस रोड से हाईवे पर चढ़ना शुरू होते ही दो इतने गहरे गड्ढे हैं कि अगर बचकर नहीं निकले तो कार तक पलट सकती है। ये गड्ढे तब हैं जब यहां पैचवर्क भी होना बताया गया। यहां गड्ढों का मुख्य कारण बारिश के पानी की सही निकासी नहीं होना है।

एक समाचार पत्र की टीम की गाड़ी हाईवे पर चढ़ने के बाद 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी ही थी कि अचानक हाईवे के बीचों बीच एक गड्ढा आया। गड्ढे से बचने के लिए कार को झटके से बाई तरफ मोड़ा तो पूरी कार हिल गई। यूं लगा मानो कार पलट ही जायेगी। क्योंकि इस हाईवे पर पहली बार आया इसलिए कुछ नहीं पता था कि कहां पर गड्ढा है। वैसे हाईवे पर स्पीड 100 किमी प्रति घंटा की है, लेकिन एक गड्ढे से टकराने के बाद हिम्मत नहीं हुई कि गाड़ी की स्पीड 80 से ऊपर करूं।

- बीकानेर से हनुमानगढ़ के बीच 179 किमी. में 300 से ज्यादा गड्ढे हैं
- गहरे गड्ढे हैं अगर बचकर नहीं निकले तो गाड़ी पलट सकती है

कुछ किमी तक जब रोड ठीक दिखी तो गाड़ी 85 तक पहुंची मगर 85 तक गाड़ी पहुंची ही थी कि फिर अचानक सड़क पर न सिर्फ गड्ढा आया बल्कि उस गड्ढे के बीच डामर इकट्ठा होकर एक खेत की मेड़ जैसा रूप ले चुका था। अगर इस पर कार का पहिया आ जाता तो इतना जोर का झटका लगता कि संभलना मुश्किल हो जाता। यहां जैसे-तैसे संभले तो सामने देखा कि इसी गड्ढे से संतुलन खोने के बाद एक ट्रक हाईवे के डिवाइडर में जा घुसा था। बीकानेर से अर्जुनसर तक कम से कम ऐसे ढाई सौ गड्ढे मिले। गड्ढे ही नहीं हाईवे पूरा पैचवर्क से पटा हुआ था। एक किमी सड़क भी ऐसी नहीं थी जहां पैच न किया गया हो। पैच भी समतल न होने से बार-बार झटके लगते रहे।

पुष्पेन्द्र सिंह, पीडी, हनुमानगढ़, एनएचएआई का कहना है कि मैंने अभी हाल ही में जॉइन किया है। मेरे पास इसकी खबर है कि 20 किमी एरिया में कुछ गड्ढे हैं, मगर वो 240 हैं, इसकी जानकारी नहीं है। मैंने इसके दो नोटिस भी जारी कराए हैं। जल्दी ही ये शिकायत दूर की जायेगी। अभी लाइबिलिटी पीरियड में है सड़क। हालांकि दूसरी साइड में ठीक करा दिया है और जैसे ही बारिश खत्म होगी, उसके पास पूरा हाईवे नए सिरे से तैयार करायेंगे।

सूने घर से लाखों के जेवर-नकदी चोरी

बीकानेर, (कासं)। मुक्ताप्रसाद नगर थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सर्वोदय बस्ती में चोरों ने एक सूने घर में हाथ साफ किया है, जहां से सोने-चांदी के आभूषण और नगदी ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।

सर्वोदय बस्ती में लक्ष्मी वूलन मिल के पीछे रहने वाले राजकुमार बिस्सा के घर में चोरी हुई है। बिस्सा ने इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट दी है। जिसमें कहा गया है कि बुधवार को बिस्सा और उसके घर सदस्य किसी काम से बाहर गए थे। वापस लौटने पर देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और अंदर सामान बिखरा हुआ है। इस पर दोनों तुरंत पड़ौस के लोगों को बुलाया। पता चला कि घर में चोरी हुई है। सामान बिखरा हुआ था, अलमारी भी खुली थी। इस पर पता चला कि चोर घर में रखा सोने चांदी के जेवर चोरी कर ले गए।

पीबीएम में क्यूआर कोड से ओपीडी रजिस्ट्रेशन शुरू

बीकानेर, (कासं)। चिकित्सा सुविधा के क्षेत्र में डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पीबीएम अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए क्यूआर कोड आधारित ओपीडी रजिस्ट्रेशन प्रणाली प्रारंभ की गई है।

पीबीएम अस्पताल अधीक्षक डॉ सुरेन्द्र वर्मा ने बताया कि यह अत्याधुनिक सुविधा मरीजों को तेजी से पंजीकरण करने में सहायता करेगी और अस्पताल में भीड़-भाड़ को कम करेगी। इस नई प्रणाली के अंतर्गत मरीज को आभा (ऐबीएचए) मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से अस्पताल परिसर में प्रदर्शित क्यूआर स्कैन करना होगा। स्कैन करते ही एक टोकन नंबर जनरेट होगा जो 60 मिनट के लिए वैध रहेगा। उन्होंने बताया कि टोकन पंजीकरण काउंटर पर बैठे ऑपरेटर के सिस्टम पर स्वत: प्रदर्शित होगा।

ऑपरेटर उसी टोकन के माध्यम से मरीज की जानकारी एक्सेस कर सकेगा और जल्दी पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर देगा। डॉ. वर्मा ने बताया कि आभा मोबाइल एप्लीकेशन के अतिरिक्त आरोग्य सेतु, ड्रिफकेस, पेटीएम, प्रैक्टो, ईका केयर, बजाज हेल्थ इत्यादि के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन किया जा सकता है। आईएचएमएस अभियंता रविन्द्र सिंह राठौड एवं कमलकांत सोनगरा द्वारा समस्त ऑपरेटर्स को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत तकनीक आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास है।

- यह अत्याधुनिक सुविधा मरीजों का तेजी से पंजीकरण करने में सहायता करेगी

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक:- नियोजन/2025/635 **विज्ञप्ति** दिनांक : 15/05/2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 13 के किला नं. 03 के भूखण्ड माप 20'-0'' गुणा 40'-0'' फीट का आवंटीय पट्टा संख्या 602 दिनांक 28.05.2013 द्वारा श्री पृथ्वीराज पारीक पुत्र श्री बहादुर राम के नाम से जारी है। चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 13 के किला नं. 03 के भूखण्ड माप 10'-0'' गुणा 40'-0'' फीट का आवंटीय पट्टा संख्या 401 दिनांक 06.05.2013 द्वारा श्रीमती सुनीता गोयल पत्नी श्री श्याम सुन्दर के नाम से जारी है। आवंटीय रूपान्तरित भूखण्ड माप 400 वर्गफीट का अंतरवर्ती नामान्तरण SGNR/FY24-25/MUT/174 श्री पृथ्वीराज पारीक पुत्र श्री बहादुर राम के नाम से नामान्तरण अप्रेल जारी है। उपरोक्त यथाकूल भूखण्ड माप 30'-0'' गुणा 40'-0'' फीट के श्री पृथ्वीराज पारीक पुत्र श्री बहादुर राम निवासी 2179, नजदीक चहल चौक, एलआईजी कॉलोनी, श्रीगंगानगर के नाम से न्यास अदेश क्रमांक नियोजन/2025/77-78 दिनांक 07.02.2025 द्वारा पुनर्गठन अदेश जारी है। अवंटक द्वारा पुनर्गठित भूखण्ड का आवंटीय से वाणिज्यिक भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन किया है। श्रीगंगानगर नगर पालन वर्ष 2017-2035 अनुसार एवं जोनल प्लान प्लान अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र का भू-उपयोग निर्धारित हेतु आवेदित है। निर्धारित भू-उपयोग में वाणिज्यिक भू-उपयोग अनुज्ञेय है। राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010, अधिसूचना दिनांक 28.10.2010, दिनांक 24.02.2021, दिनांक 06.11.2024 एवं अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations) के अनुसार पट्टे/लीजडीड में उल्लेखित उपयोग से चाहा गया परिवर्तित उपयोग दोनों ही मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान के भू-उपयोग में (DPCR) के अनुसार अनुज्ञेय (परमिटेड) उपयोग में आने एवं तकनीकी मापदण्ड पूर्ण होने के कारण विभागीय अधिसूचनाओं के तहत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही न्यास कार्यालय में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित पुनर्गठित भूखण्ड का आवंटीय रूपान्तरित से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को कोई आपत्ति हो तो वह समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। 15 दिवस के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। – सचिव, नगर विकास न्यास

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : नियमन/2025 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 04-07-2025
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 44 के किला नं. 23 में भूखण्ड संख्या का माप 15"गुणा 50'-0" फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री मोहन लाल पुत्र हंसराज निवासी गली नं. 8 बी चक 3 ई छोटी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अत: उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री मोहन लाल पुत्र हंसराज निवासी गली नं. 8 बी चक 3 ई छोटी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 44 के किला नं. 23 में भूखण्ड माप 15"गुणा 50'-0" फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वत: ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। –सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 04.07.2025
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 44 के किला नं. 19 में माप 30 इन्दू 60 फीट भूखण्ड संख्या ए-16, नेदविहार, श्रीगंगानगर का पट्टा संख्या 3332 दिनांक 17.02.2005 को श्रीमती रेखा भाटिया पत्नी श्री सुरेन्द्र भाटिया के नाम से जारी किया हुआ है जो कि श्री बनित बंसल पुत्र श्री नत्थू राम निवासी 39, गली नं. 03 दुर्गा विहार, श्रीगंगानगर द्वारा उक्त भूखण्ड को जरिये पंजीकृत बैयनामा 27.12.2023 के द्वारा क्रय कर न्यास कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पटटे एवं पंजीकृत बैयनामों का समर्पण कर भूखण्ड की लीज हस्तान्तरित करवाते हुए फ्री होल्ड पटटा जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अत: उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
Rajkaj Ref. No. 16254826 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : नियमन/2025/4131 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 18-06-2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है श्रीमती बिमला पत्नी श्री रमेश कुमार निवासी वार्ड नं. 3, लखासर, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूमि का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 21 किला नं. 14 में माप 15 इन्दू 65 फीट भूखण्ड संख्या डी-13 नेहरानगर, श्रीगंगानगर	उक्त भूखण्ड का नियमन पट्टा संख्या 3314 दिनांक 15.02.2005 को श्री पवन कुमार पुत्र श्री पुरूषोतम लाल के नाम से जारी किया हुआ है।	श्रीमती बिमला द्वारा उक्त भूखण्ड को पंजीकृत बैयनामा दिनांक 22.05.2025 के द्वारा क्रय कर भूखण्ड के नामान्तरण बाबत न्यास में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में श्रीमती बिमला पत्नी श्री रमेश कुमार निवासी वार्ड नं. 03, लखासर, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री तीज होल्ड पटटे के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या :- SGNR/FY25-26/MUT/297 – सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2025-26/101398 **लोक सूचना** दिनांक : 10.7.2025
श्री आमिन सेतिया पुत्र श्री अजय सेतिया निवासी यूआईडी जैड 6 02835 सेकंड क्रोसिंग स्ट्रीट नं. 02, मॉडल टाउन अबोहर पंजाब ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री आमिन सेतिया पुत्र श्री अजय सेतिया	चक 1 जैड मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 11/3 में 0.1818 है. किला नं. 12/2 में 0.1840 है. किला नं. 13/2 में 0.1840 है. किला नं. 14/2 में 0.1840 है. किला नं. 15/2 में 0.1840 है. किला नं. 16 में 0.253 है. किला नं. 17/1 में 0.2466 है., यथाकुल 1.4154 हैक्टे.	कुल 1.4154 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 10.7.2025 को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2025-26/101395 **लोक सूचना** दिनांक : 10.7.2025
श्री अजय कांत सेतिया पुत्र श्री रमेश चन्द्र सेतिया निवासी यूआईडी जैड 6 02835 सेकंड क्रोसिंग स्ट्रीट नं. 02, मॉडल टाउन अबोहर पंजाब ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री अजय कांत सेतिया पुत्र श्री रमेश चन्द्र सेतिया	चक 1 जैड मुरब्बा नं. 41 के किला नं. 17/2 में 0.0084 है. किला नं. 18 में 0.2530 है. किला नं. 19 में 0.2530 है. किला नं. 20 में 0.2530 है. किला नं. 21/1 में 0.2362 है. किला नं. 23/1 में 0.2362 है. किला नं. 24/1 में 0.2362 है. किला नं. 25/1 में 0.2362 है., यथाकुल 1.9484 हैक्टे.	कुल 1.4154 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एस